संख्या- 19 /2018/747 /अड़तीस-5-2018-27 बजट/2017 टी0सी0(III)

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 6 मार्च, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 1198/डब्लू -409correspondence(IV) / 2017-18, दिनांक 05 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनु सचिव (वाटर), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या- डब्लू-11021/97/2015/वाटर -I /127, दिनांक 08 फरवरी, 2018, की प्रति संलग्न करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त कुल केन्द्रांश की धनराशि रू0 3750.00 लाख, जो विभिन्न अनुदानों से वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित है तथा जिसके द्वारा शासनादेश 15/2018/713/अडतीस-5-2018-27 बजट/ 2017 टी0सी0 (III) दिनांक 28 फरवरी, 2018 को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 2018 को एतदद्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्राप्त कुल केन्द्रांश में से अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत अनुमन्य केन्द्रांश की कुल धनराशि रू0 969.29 लाख (रूपये नौ करोड उनहत्तर लाख उन्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक	भा./स. से प्राप्त केन्द्रांश	भा./स. से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य कुल केन्द्रांश	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
83	ई0ए0पी0 शेयर	969.29	969.29	969.29
	Total	969.29	969.29	969.29

(रूपये नौ करोड उनहत्तर लाख उन्तीस हजार मात्र)

(I) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोग्राम फण्ड/ सपोर्ट फण्ड में जमा की जायेगी एवं यथावश्यकता सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जायेगी।

(III) उक्त वित्तीय स्वीकृति में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 एवं तत्क्रम में निर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या - 12/2017 बी-1-1455/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 20-11-2017 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(IV) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(V) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा उसका व्यय उन्ही मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(VI) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-8/2017 बी-1-1190/ दस-2017-231/2017, दिनांक 3 अगस्त, 2017 तथा शासनादेश संख्या-12/2017 बी-1-1455/ दस-2017-231/2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

5- तदनुसार प्रश्नगत मामले में निर्गत शासनादेश संख्या-15/2018/13/अडतीस-5-2018-27 बजट/ 2017 टी0सी0।।। दिनांक 28 फरवरी, 2018 को निरस्त समझा जाय।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्याः 19 /2018/ 747 (1)/अड़तीस-5-2018-27 बजट/2017टी0सी0 (।।।), तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अनु सचिव (जनरल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, चतुर्थ तल पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड़, नई दिल्ली के स्वीकृत आदेश संख्या- डब्लू-11021/97/2015/वाटर -। /127, दिनांक 08 फरवरी, 2018 को उनके पत्र के क्रम में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10) समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन।
(11) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।